भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2150
20 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय बढ़ाना

2150. श्री रघु राम कृष्ण राजू:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) सरकार द्वारा देश में किसानों की आय बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई और पीएमकेएसवाई जैसी योजनाएं छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच गई हैं और उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और ब्याज सहायता योजना के माध्यम से उत्पादन ऋण प्राप्त करके कितने किसान लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) देश में विशेषकर तमिलनाडु में किसानों की परेशानियों को कम करने के लिए प्रस्तावित अन्य योजनाओं या स्कीमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सरकार ने तमिलनाडु राज्य सहित देश में किसानों के लिए उच्चतर आय प्राप्त करने के लिए कई विकासात्मक कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया है। इसमें शामिल हैं:

(i) उत्पादन लागत पर लाभ मार्जिन का न्यूनतम 50 प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि,

(ii) पीएम-किसान के तहत पूरक आय अंतरण,

(iii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसल बीमा,

(iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सिंचाई तक बेहतर पहुंच,

(v) 100,000 करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के माध्यम से अवसंरचना निर्माण पर विशेष ध्यान।

(vi) एफसीआई प्रचालनों के अलावा पीएम-आशा के तहत नई खरीद नीति,

(vii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से कृषि फसलों के अलावा डेयरी और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उत्पादन ऋण प्रदान किया जाता है,

(viii) 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन,

(ix) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीतियों को विकसित और क्रियान्वित करना है।

(x) कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाना जिसमें भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है।

(xi) मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नीली क्रांति, ब्याज छूट योजना, कृषि-वानिकी, पुनर्गठित बांस मिशन, नई पीढ़ी के पनधारा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के तहत मिलने वाले लाभ, आदि।

(xii) कृषि मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर ध्यान देना।

(xiii) आदान लागत को कम करने के लिए किसानों को किफायती मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का उद्देश्य देश भर में कृषि योग्य भूमिधारक किसान परिवारों को कुछ अपवर्जन मानदंडों के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए व्यय वहन करने में सक्षम बनाया जा सके। दिनांक 30.11.2022 तक योजना का लाभ 11 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच चुका है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक योजना है। फसल बीमा किसानों द्वारा बीमा कंपनी को स्वीकार्य प्रीमियम के भुगतान पर प्राकृतिक आपदा/प्रतिकूल मौसम की स्थिति में उनकी फसल के नुकसान का बीमा करने का एक वित्तीय साधन है। खरीफ 2016 में योजना की शुरुआत से लेकर रबी 2021-22 सीजन तक (30.11.2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार), 13,46,953 करोड़ रुपये की बीमित राशि के लिए संचयी 4,369.8 लाख किसान आवेदन दर्ज किए गए हैं। किसानों के 25,628 करोड़ रुपये के प्रीमियम की तुलना में कुल 1,31,840 करोड़ रुपये के दावों की सूचना दी गई है और लगभग 1240 लाख आवेदक किसानों को 1,29,390 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के संबंध में, 'प्रति बूंद अधिक फसल' स्कीम का उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रौद्योगिकियों जैसे उपयुक्त तकनीकी कार्यकलापों को बढ़ावा देकर कृषि में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है और किसानों को जल की बचत और संरक्षण प्रौद्योगिकियां का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे न्यूनतम जल उपयोग के साथ फसल की पैदावार को अधिकतम किया जा सके और कृषि आदानों की लागत में भी कमी आए। छोटे और सीमांत किसानों सहित सूक्ष्म-सिंचाई के तहत अब तक 70.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केसीसी के माध्यम से फसल ऋण और सावधि ऋण लेने वाले किसानों की संख्या **अनुबंध I, II** और **III** में दी गई है।

लो.स.अता.प्र.सं. 2150

अनुबंध-I

संवितरण तिथि: 01/04/2019 से 31/03/2020 तक **खातों की पूर्ण संख्या और करोड़ रुपये में धनराशि**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि ऋण संवितरण					
		फसल ऋण		कुल सावधि ऋण		कृषि के लिए कुल ऋण	
		खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि
1	दिल्ली	15,583	754.59	38,226	20,877.92	53,809	21,632.50
2	हरियाणा	28,81,536	43,250.10	7,01,724	21,044.81	35,83,260	64,294.91
3	हिमाचल प्रदेश	5,42,729	5,666.20	1,36,841	2,104.62	6,79,570	7,770.82
4	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित)	8,76,168	10,929.28	35,888	2,472.27	9,12,056	13,401.55
5	पंजाब	29,89,280	57,444.44	7,75,381	23,003.60	37,64,661	80,448.05
6	राजस्थान	67,85,350	67,104.07	19,03,275	27,946.54	86,88,625	95,050.61
7	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	3,770	184.55	42,550	1,161.85	46,320	1,346.40
	उत्तरी क्षेत्र	**1,40,94,416**	**1,85,333.23**	**36,33,885**	**98,611.60**	**1,77,28,301**	**2,83,944.83**
8	अरुणाचल प्रदेश	4,623	27.34	1,187	83.47	5,810	110.81
9	असम	3,95,632	1,535.53	7,27,792	6,177.38	11,23,424	7,712.91
10	मणिपुर	4,227	33.06	19,912	278.69	24,139	311.75
11	मेघालय	28,265	148.52	6,905	56.89	35,170	205.41
12	मिजोरम	1,603	12.77	13,766	153.59	15,369	166.36
13	नागालैंड	31,737	104.75	4,702	172.82	36,439	277.57
14	सिक्किम	6,491	70.63	7,950	103.55	14,441	174.18
15	त्रिपुरा	69,787	202.52	3,02,713	2,647.86	3,72,500	2,850.38
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	**5,42,365**	**2,135.12**	**10,84,927**	**9,674.25**	**16,27,292**	**11,809.37**
16	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2,195	26.24	9,567	122.38	11,762	148.62
17	बिहार	21,22,029	17,163.42	37,13,196	23,670.78	58,35,225	40,834.20

18	झारखंड	4,85,438	1,768.11	6,63,620	3,669.05	11,49,058	5,437.17
19	ओडिशा	42,20,048	17,981.35	17,09,016	12,417.10	59,29,064	30,398.44
20	पश्चिम बंगाल	28,00,284	13,620.37	41,31,898	41,229.05	69,32,182	54,849.42
	पूर्वी क्षेत्र	**96,29,994**	**50,559.49**	**1,02,27,297**	**81,108.36**	**1,98,57,291**	**1,31,667.85**
21	छत्तीसगढ	19,17,082	9,831.97	3,29,547	5,292.75	22,46,629	15,124.72
22	मध्य प्रदेश	62,84,120	41,870.75	14,80,075	20,625.84	77,64,195	62,496.59
23	उत्तराखंड	4,69,675	4,597.99	1,74,251	5,906.81	6,43,926	10,504.81
24	उत्तर प्रदेश	91,16,174	74,368.89	24,79,274	34,519.53	1,15,95,448	1,08,888.42
	केन्द्रीय क्षेत्र	**1,77,87,051**	**1,30,669.61**	**44,63,147**	**66,344.93**	**2,22,50,198**	**1,97,014.54**
25	गोवा	24,965	290.04	38,107	703.19	63,072	993.23
26	गुजरात	31,65,165	43,964.84	11,14,862	29,263.83	42,80,027	73,228.67
27	महाराष्ट्र	39,43,966	31,547.06	21,17,098	50,302.66	60,61,064	81,849.71
28	दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	613	11.46	1,131	100.13	1,744	111.60
29	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	668	11.54	621	11.50	1,289	23.04
	पश्चिमी क्षेत्र	**71,35,377**	**75,824.95**	**32,71,819**	**80,381.31**	**1,04,07,196**	**1,56,206.26**
30	आंध्र प्रदेश	1,07,42,180	93,380.35	26,88,090	43,398.08	1,34,30,270	1,36,778.43
31	तेलंगाना	46,43,884	32,930.32	9,29,262	30,452.45	55,73,146	63,382.77
32	कर्नाटक	52,09,767	44,476.75	53,13,954	43,903.08	1,05,23,721	88,379.82
33	केरल	71,64,124	62,224.51	23,82,810	35,195.61	95,46,934	97,420.12
34	पुदुचेरी	2,99,327	2,401.81	1,07,929	971.01	4,07,256	3,372.82
35	तमिलनाडु	1,85,15,962	1,45,213.20	60,28,369	77,534.37	2,45,44,331	2,22,747.57
36	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	251	1.55	465	3.46	716	5.01
	दक्षिणी क्षेत्र	**4,65,75,495**	**3,80,628.48**	**1,74,50,879**	**2,31,458.06**	**6,40,26,374**	**6,12,086.54**
	सकल योग	**9,57,64,698**	**8,25,150.88**	**4,01,31,954**	**5,67,578.52**	**13,58,96,652**	**13,92,729.39**

* डेटा स्रोत: बैंकों द्वारा नाबार्ड के ENSURE पोर्टल में प्रस्तुत किया गया डेटा।

सावधि ऋण पर डेटा में कृषि अवसंरचना और अनुषंगी कार्यकलापों के तहत संवितरण शामिल है।

अनुबंध-II

संवितरण तिथि: 01/04/2020 से 31/03/2021 तक **खातों की पूर्ण संख्या और करोड़ रुपये में धनराशि**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि ऋण संवितरण					
		फसल ऋण		कुल सावधि ऋण		कृषि के लिए कुल ऋण	
		खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि
1	दिल्ली	19,010	479.47	49,049	13,761.49	68,059	14,240.96
2	हरियाणा	29,73,019	43,284.79	7,70,697	17,370.68	37,43,716	60,655.47
3	हिमाचल प्रदेश	6,40,903	6,021.86	1,34,268	1,454.50	7,75,171	7,476.36
4	जम्मू और कश्मीर	12,22,266	12,368.96	35,493	2,383.82	12,57,759	14,752.79
5	पंजाब	28,61,907	51,951.83	6,78,615	17,217.73	35,40,522	69,169.56
6	राजस्थान	74,86,651	75,099.53	20,12,733	26,396.71	94,99,384	1,01,496.24
7	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	3,957	141.65	42,158	1,019.11	46,115	1,160.76
8	लद्दाख	86,976	847.78	2,137	99.33	89,113	947.11
	उत्तरी क्षेत्र	**1,52,94,689**	**1,90,195.89**	**37,25,150**	**79,703.36**	**1,90,19,839**	**2,69,899.25**
9	अरुणाचल प्रदेश	36,957	60.20	1,529	25.40	38,486	85.60
10	असम	2,28,044	1,137.42	13,78,569	10,319.55	16,06,613	11,456.96
11	मणिपुर	7,966	71.48	21,201	229.50	29,167	300.98
12	मेघालय	32,532	188.86	5,806	62.48	38,338	251.34
13	मिजोरम	4,791	34.36	21,269	295.37	26,060	329.73
14	नागालैंड	36,411	158.13	8,438	80.85	44,849	238.98
15	सिक्किम	5,366	54.64	10,087	132.69	15,453	187.33
16	त्रिपुरा	73,236	313.55	4,74,205	3,337.22	5,47,441	3,650.77
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	**4,25,303**	**2,018.63**	**19,21,104**	**14,483.07**	**23,46,407**	**16,501.70**
17	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5,476	56.30	10,397	149.67	15,873	205.98
18	बिहार	23,55,668	19,883.50	42,84,892	27,097.40	66,40,560	46,980.90

19	झारखंड	9,87,828	3,224.07	8,20,434	3,792.34	18,08,262	7,016.41
20	ओडिशा	46,35,636	21,098.39	20,24,167	13,048.27	66,59,803	34,146.66
21	पश्चिम बंगाल	29,43,594	11,336.59	61,40,217	51,320.72	90,83,811	62,657.31
	पूर्वी क्षेत्र	**1,09,28,202**	**55,598.85**	**1,32,80,107**	**95,408.40**	**2,42,08,309**	**1,51,007.25**
22	छतीसगढ	20,16,828	11,721.10	4,33,725	7,006.49	24,50,553	18,727.59
23	मध्य प्रदेश	70,12,646	54,327.96	17,99,384	25,781.72	88,12,030	80,109.68
24	उत्तराखंड	4,84,403	4,735.73	2,41,993	4,912.32	7,26,396	9,648.05
25	उत्तर प्रदेश	90,05,685	81,769.64	30,92,513	32,853.79	1,20,98,198	1,14,623.42
	केन्द्रीय क्षेत्र	**1,85,19,562**	**1,52,554.42**	**55,67,615**	**70,554.32**	**2,40,87,177**	**2,23,108.74**
26	गोवा	35,190	441.63	40,598	932.83	75,788	1,374.46
27	गुजरात	33,54,262	53,754.86	11,72,767	31,179.24	45,27,029	84,934.10
28	महाराष्ट्र	69,48,404	47,719.27	22,70,697	50,420.35	92,19,101	98,139.62
29	दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	1,012	17.11	5,814	538.26	6,826	555.37
30	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	2,887	50.49	1,571	96.67	4,458	147.16
	पश्चिमी क्षेत्र	**1,03,41,755**	**1,01,983.37**	**34,91,447**	**83,167.34**	**1,38,33,202**	**1,85,150.71**
31	आंध्र प्रदेश	1,05,12,410	97,699.21	51,35,731	77,275.09	1,56,48,141	1,74,974.30
32	तेलंगाना	49,27,739	40,672.61	16,05,284	30,992.44	65,33,023	71,665.05
33	कर्नाटक	55,71,589	52,038.26	61,35,428	59,805.63	1,17,07,017	1,11,843.90
34	केरल	64,40,303	58,831.66	30,50,534	43,277.83	94,90,837	1,02,109.48
35	पुदुचेरी	2,71,964	2,583.74	1,48,039	2,251.63	4,20,003	4,835.36
36	तमिलनाडु	1,64,56,208	1,39,500.04	94,23,435	1,24,669.34	2,58,79,643	2,64,169.38
37	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	8,684	80.40	1,325	52.90	10,009	133.30
	दक्षिणी क्षेत्र	**4,41,88,897**	**3,91,405.92**	**2,54,99,776**	**3,38,324.87**	**6,96,88,673**	**7,29,730.79**
	सकल योग:	**9,96,98,408**	**8,93,757.07**	**5,34,85,199**	**6,81,641.36**	**15,31,83,607**	**15,75,398.43**

* डेटा स्रोत: बैंकों द्वारा नाबार्ड के ENSURE पोर्टल में प्रस्तुत किया गया डेटा।

सावधि ऋण पर डेटा में कृषि अवसंरचना और अनुषंगी कार्यकलापों के तहत संवितरण शामिल है।

अनुबंध-III

संवितरण तिथि: 01/04/2021 से 31/03/2022 तक

खातों की पूर्ण संख्या और करोड़ रुपये में धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि ऋण संवितरण					
		फसल ऋण		कुल सावधि ऋण		कृषि के लिए कुल ऋण	
		खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि
1	दिल्ली	9,332	1,853.34	45,789	15,628.93	55,121	17,482.27
2	हरियाणा	29,10,988	45,926.61	5,95,507	17,526.28	35,06,495	63,452.90
3	हिमाचल प्रदेश	6,32,663	6,575.92	70,550	1,137.04	7,03,213	7,712.95
4	जम्मू और कश्मीर	12,72,956	10,968.31	26,779	3,013.80	12,99,735	13,982.11
5	पंजाब	28,59,823	52,595.77	7,66,698	17,033.88	36,26,521	69,629.65
6	राजस्थान	72,14,695	82,379.98	20,10,760	27,585.64	92,25,455	1,09,965.63
7	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	8,739	262.61	33,926	934.18	42,665	1,196.79
8	लद्दाख	51,797	328.69	165	2.99	51,962	331.68
	उत्तरी क्षेत्र	**1,49,60,993**	**2,00,891.24**	**35,50,174**	**82,862.73**	**1,85,11,167**	**2,83,753.97**
9	अरुणाचल प्रदेश	7,132	56.84	2,661	59.24	9,793	116.08
10	असम	2,15,804	1,693.60	11,00,400	7,043.52	13,16,204	8,737.12
11	मणिपुर	9,089	372.99	19,982	260.11	29,071	633.10
12	मेघालय	29,032	182.23	5,403	77.52	34,435	259.76
13	मिजोरम	6,138	50.66	17,490	245.02	23,628	295.69
14	नागालैंड	35,477	156.79	8,583	115.74	44,060	272.53
15	सिक्किम	5,719	73.77	8,742	130.99	14,461	204.76
16	त्रिपुरा	63,050	284.70	4,25,692	2,711.71	4,88,742	2,996.41
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	**3,71,440**	**2,871.59**	**15,88,954**	**10,643.86**	**19,60,394**	**13,515.45**
17	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7,342	144.92	8,575	147.16	15,917	292.08
18	बिहार	13,96,071	48,193.07	57,43,589	31,457.73	71,39,660	79,650.80
19	झारखंड	6,75,939	3,460.84	11,64,885	5,363.66	18,40,824	8,824.50

20	ओडिशा	32,35,048	17,646.19	28,63,448	16,989.05	60,98,496	34,635.23
21	पश्चिम बंगाल	27,08,461	15,825.25	58,99,354	44,762.98	86,07,815	60,588.23
	पूर्वी क्षेत्र	**80,22,860**	**85,270.26**	**1,56,79,851**	**98,720.58**	**2,37,02,711**	**1,83,990.84**
22	छत्तीसगढ	11,94,777	11,308.60	4,30,292	6,049.27	16,25,069	17,357.86
23	मध्य प्रदेश	68,01,780	61,331.24	17,80,172	24,627.50	85,81,952	85,958.73
24	उत्तराखंड	4,34,103	5,422.30	2,23,744	3,266.65	6,57,847	8,688.95
25	उत्तर प्रदेश	78,33,134	84,396.89	30,89,850	30,435.41	1,09,22,984	1,14,832.30
	केन्द्रीय क्षेत्र	**1,62,63,794**	**1,62,459.03**	**55,24,058**	**64,378.82**	**2,17,87,852**	**2,26,837.85**
26	गोवा	27,219	396.69	50,196	994.25	77,415	1,390.93
27	गुजरात	28,91,280	63,059.28	10,06,525	33,903.79	38,97,805	96,963.07
28	महाराष्ट्र	56,37,854	57,064.69	30,53,453	56,244.03	86,91,307	1,13,308.73
29	दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	1,363	33.77	1,758	33.66	3,121	67.43
30	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	754	18.77	1,461	42.39	2,215	61.17
	पश्चिमी क्षेत्र	**85,58,469**	**1,20,573.21**	**41,13,393**	**91,218.12**	**1,26,71,862**	**2,11,791.33**
31	आंध्र प्रदेश	72,99,523	1,02,931.97	61,05,849	89,038.29	1,34,05,372	1,91,970.26
32	तेलंगाना	39,18,536	47,167.28	16,48,658	35,434.69	55,67,194	82,601.97
33	कर्नाटक	69,79,954	69,001.30	59,59,513	62,625.16	1,29,39,467	1,31,626.46
34	केरल	43,39,441	58,354.17	27,67,577	43,181.51	71,07,018	1,01,535.68
35	पुदुचेरी	1,53,799	1,778.19	1,81,732	2,065.00	3,35,531	3,843.19
36	तमिलनाडु	1,28,64,963	1,69,991.76	72,43,597	1,08,418.45	2,01,08,560	2,78,410.21
37	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	1,273	9.03	843	7.29	2,116	16.32
	दक्षिणी क्षेत्र	**3,55,57,490**	**4,49,233.70**	**2,39,07,769**	**3,40,770.39**	**5,94,65,259**	**7,90,004.09**
	सकल योग:	**8,37,35,047**	**10,21,299.04**	**5,43,64,199**	**6,88,594.50**	**13,80,99,246**	**17,09,893.54**

* डेटा स्रोत: बैंकों द्वारा नाबार्ड के ENSURE पोर्टल में प्रस्तुत किया गया डेटा। दिनांकित रिपोर्ट।

सावधि ऋण पर डेटा में कृषि अवसंरचना और अनुषंगी कार्यकलापों के तहत संवितरण शामिल है।

*****